



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS / ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं.: 1236 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1236
विषय / Sub: फ्लूरो कार्बन बेस रबड़ काम्पाउंड पीवी-2
Fluorocarbon Base Rubber Compound PV-2

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स पॉलिमर एंटरप्राइसेस, ई-41, एमआईडीसी, सतपुर, नासिक-422 007 द्वारा विकसित एवं उत्पादित " फ्लूरो कार्बन बेस रबड़ काम्पाउंड पीवी-2 ", को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1236, दिनांक 13 दिसंबर 2006 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1236 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1236/1आर, दिनांक 20 दिसंबर 2011 द्वारा नवीकरण जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2016 तक था।

This is to state that the "Fluorocarbon Base Rubber Compound PV-2" developed and manufactured by M/s Polymer Enterprise, E-41, MIDC, Satpur, Nasik -422 007 was issued with Type Approval No.: 1236 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1236, dated: 13th December 2006. Subsequently it was renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1236/1R, dated: 20th December 2011 with its validity up to 31st December 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2017 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसम्बर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (नासिक), सेमिलैक, नासिक-422 207 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nasik), CEMILAC, Nasik - 422 207, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1236, दिनांक 13 दिसंबर 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1236, dated: 13th December 2006 is amended as stated herewith.


“[अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No. : सेमिलैक /CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1236/2R
दिनांक / Date **23** February 2017
फैक्स सं. / Fax No: 080-25230856


24/02/2017


पी. जयपाल / P. JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक (उडनयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)